

संशोधित विज्ञप्ति

विषय: उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में प्रचलित पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना एवं प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 सीधी भर्ती-2014 में सम्मिलित होने के लिए अर्ह/इच्छुक अभ्यर्थी, जो पूर्व में कतिपय कारणों से आवेदन नहीं कर पाये थे, अथवा जिनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हो पाये थे, से भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के सम्बन्ध में।

आवेदन पत्र जमा करने की अवधि: दिनांक 31-08-2014 से 01-10-2014

उत्तराखण्ड पुलिस में वर्तमान में प्रचलित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना एवं प्लाटून कमाण्डर पीएसी (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती के 339 पदों पर चयन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 05-02-2014 एवं 27-05-2014 में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि क्रमशः 06-03-2014 व 25-06-2014 निर्धारित की गयी थी।

2- उक्त प्रक्रिया में अपरिहार्य कारणों (यथा भर्ती प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश एवं चुनावी प्रक्रिया) से विलम्ब होने के दृष्टिगत उन इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थियों से, जो किसी कारणवश पूर्व विज्ञप्तियों के अनुसार आवेदन नहीं कर पाये थे, अथवा जिनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हो पाये थे, को भी सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करते हुए निम्नानुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 31-08-2014 से 01-10-2014 तक अभ्यर्थियों की सुविधानुसार उत्तराखण्ड राज्य के किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में जमा किये जा सकते हैं:-

(1) ऐसे अर्ह अभ्यर्थी, जो पूर्व में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25-6-2014 तक स्नातक उत्तीर्ण न होने के कारण आवेदन नहीं कर सके थे किन्तु यदि वे वर्तमान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं अथवा आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 01-10-2014 तक स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे, द्वारा भी अपना आवेदन पत्र दिनांक 01-10-2014 तक किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा जमा किया जा सकता है।

(2) ऐसे अर्ह अभ्यर्थी, जिनके पूर्व के आवेदन पत्र डाक द्वारा विलम्ब से/अन्य किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिये गये थे, भी आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 01-10-2014 तक किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा पुनः जमा करा सकते हैं।

(3) ऐसे अर्ह अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व में उक्त भर्ती हेतु आवेदन नहीं किया गया था तथा यदि वे वर्तमान में उक्त भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, भी अपना आवेदन पत्र दिनांक 01-10-2014 तक किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा जमा करा सकते हैं।

(4) यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में दिनांक 25-06-2014 तक जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में त्रुटि रहित/सफलतापूर्वक स्वीकार हो चुके हैं, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा उनके भर्ती केन्द्रों पर पूर्व से जमा आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक कार्यालयों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	जनपद	आवेदन पत्र जमा किये जाने का स्थान	क्र०सं०	जनपद	आवेदन पत्र जमा किये जाने का स्थान
1	उत्तरकाशी	पुलिस अधीक्षक कार्यालय उत्तरकाशी	7	हरिद्वार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय हरिद्वार
2	टिहरी गढ़वाल	पुलिस अधीक्षक कार्यालय टिहरी गढ़वाल	8	अल्मोड़ा	पुलिस अधीक्षक कार्यालय अल्मोड़ा
3	चमोली	पुलिस अधीक्षक कार्यालय चमोली	9	बागेश्वर	पुलिस अधीक्षक कार्यालय बागेश्वर
4	रूद्रप्रयाग	पुलिस अधीक्षक कार्यालय रूद्रप्रयाग	10	चम्पावत	पुलिस अधीक्षक कार्यालय चम्पावत
5	पौड़ी गढ़वाल	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पौड़ी गढ़वाल	11	पिथौरागढ़	पुलिस अधीक्षक कार्यालय पिथौरागढ़
6	देहरादून	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय देहरादून	12	नैनीताल	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय नैनीताल
			13	ऊधमसिंहनगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय ऊधमसिंहनगर

### 3- पदों की संख्या

- (1) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस — 257 पद
- (2) उप निरीक्षक अभिसूचना — 39 पद
- (3) प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी० — 43 पद

शासन किसी पद को रिक्त अथवा स्थगित रख सकता है एवं रिक्तियां भी परिवर्तनीय हैं। चयन सम्बन्धी प्रक्रिया उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय के नियन्त्रण, संचालन एवं पर्यवेक्षण में करायी जायेगी। चयन परीक्षा सम्बन्धी न्यूनतम अर्हतायें एवं शारीरिक व लिखित परीक्षा आदि से सम्बन्धित सूचनायें निम्न प्रस्तरो में अंकित हैं।

4- उपरोक्तानुसार निर्धारित संख्या में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना एवं प्लाटून कमाण्डर पी०ए०सी० के प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी चुने जायेंगे। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को वेतन/भत्तों के स्थान पर प्रतिमाह रू० 3500/-मात्र स्टाइपेन्ड प्रदान किया जायेगा। निर्धारित प्रशिक्षण में सफल होने के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को वेतन बेण्ड-2 रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन रू० 4200 में अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जायेगा।

**5- शैक्षिक अर्हतायें:-**

(क) अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए।

(ख) सेना के वियोजित कर्मचारियों के लिए शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट होगी।

**6- आयु सीमा:**

अभ्यर्थियों की आयु 01 जुलाई 2014 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् उसकी जन्मतिथि 1-7-1986 से पहले एवं 1-7-1993 के बाद की न हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/होमगार्ड्स अभ्यर्थियों को (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर) अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में घटाने के उपरान्त अधिकतम आयुसीमा में 03 वर्ष की छूट देय होगी। सेना में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवार के आश्रित (विधवा पत्नी/पुत्र/पुत्री) को सेना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शासनादेश के अनुरूप आवश्यकतानुसार गुण-अवगुण के आधार पर अधिकतम आयुसीमा में छूट दी जायेगी।

**7- आरक्षण:-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001 दिनांक: 18-7-2001 के अनुसार वर्टिकल आरक्षण देय होगा। उक्त के अतिरिक्त महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/होमगार्ड्स को शासन द्वारा निर्गत विद्यमान एवं अध्यावधिक क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जायेगा। अन्तिम मैरिट सूची निर्गत होने तक यदि मा0 न्यायालय अथवा उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोई नीतिगत विषय सम्बन्धी अथवा आरक्षण सम्बन्धी आदेश/निर्णय दिया जाता है तो यह विज्ञप्ति उस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी, किन्तु इसका प्रभाव चयन प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा।

**नोट:-**उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष Writ petition (P.I.L) संख्या 6 7 of 2011 विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिनांक 26-8-2013 को दिये गये हैं, किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य

आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनकी नियुक्ति उक्त याचिका के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगी तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26-8-2013 के विद्यमान रहने की स्थिति में उपर्युक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जायेगी। यदि निर्णय उनके पक्ष में नहीं होता है तो उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य आन्दोलनकारी का लाभ नहीं मिलेगा तथा इन पदों के सापेक्ष सम्बन्धित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्तियां दी जायेंगी।

**8- उत्तराखण्ड के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण:-**

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदन पत्र के साथ सेवायोजन कार्यालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। राजकीय सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने विभाग के सक्षम प्राधिकारी का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण उत्तराखण्ड के किसी जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में होना आवश्यक है। इस हेतु भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय के पंजीकरण कार्ड की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

**9- शारीरिक अर्हतायें:-**

उपरोक्त पदों के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हतायें निम्नवत् होंगी:-

(क) <u>ऊँचाई</u>	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
(1) सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग	167.70 से.मी०	152 से.मी.
(2) अनुसूचित जनजाति	160 से.मी०	147 से.मी.
(3) पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	162.60 से.मी.	147 से.मी.

(ख) सीने की माप (केवल पुरुषों के लिए)

	<u>बिना फुलाये</u>	<u>फुलाने पर</u>
(1) सामान्य व अन्य वर्ग	78.8 से.मी.	83.8 से.मी.
(2) अनुसूचित जनजाति व पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 से.मी.	81.5 से.मी.

(न्यूनतम फुलाव 5 से.मी. अनिवार्य है)

(ग) शारीरिक वजन - 45 कि.ग्रा. न्यूनतम (केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु)

(घ) शासनादेश संख्या 256/18-प्रा0शि0-2-88-20(एस0बी0)/82 दिनांक 16-1-1982 द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है:-

“देहरादून: पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के सम्पूर्ण भाग।” नवसृजित जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत का सम्पूर्ण भाग भी इससे पूर्व में क्रमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

#### 10- विकल्प:-

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना एवं प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के लिए भर्ती संयुक्त रूप से की जा रही है। अतः अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निम्नवत् निर्धारित कालम में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता अंकित करनी होगी। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम विकल्प उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, द्वितीय विकल्प उप निरीक्षक अभिसूचना एवं तृतीय विकल्प प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के पद हेतु रखना चाहता हो तो उप निरीक्षक नागरिक के सम्मुख प्रथम, उप निरीक्षक अभिसूचना के सम्मुख द्वितीय एवं प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 के सम्मुख तृतीय निम्नवत् अंकित करना होगा:-

#### (मात्र उदाहरण हेतु)

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1- उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस  | (प्रथम)   |
| 2- उपनिरीक्षक अभिसूचना      | (द्वितीय) |
| 3- प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 | (तृतीय )  |

अभ्यर्थियों का उपरोक्त में से किसी एक शाखा में चयन उनके विकल्प के आधार पर मैरिट लिस्ट में उसके स्थान तथा सम्बन्धित संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा।

#### 11- अन्य शर्त:-

किसी पुरुष अभ्यर्थी की एक समय में एक से अधिक जीवित पत्नियां न हो, और कोई महिला अभ्यर्थी किसी ऐसे पुरुष की पत्नी न हो, जिसकी पहले से कोई जीवित पत्नी हो।

#### 12- परीक्षा शुल्क:-

अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रू0 25/- तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को रू0 100/- ट्रेजरी चालान द्वारा लेखा शीर्षक “0055-पुलिस प्राप्तियां-103 फीसं

जुर्माने और जख्तियाँ—3 अन्य फीस जुर्माना इत्यादि” के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा, जमा किये गये शुल्क के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

### 13— शारीरिक नापजोख एवं दक्षता परीक्षा

आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थियों की शारीरिक नापजोख उसी जनपद में की जायेगी, जिस जनपद में अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करेंगे। शारीरिक नापजोख की तिथि/स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को उसी जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापक प्रचार—प्रसार कर दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी। उपरोक्त प्रस्तर—9(क) (ख) (ग) एवं (घ) के अनुसार शारीरिक अर्हतायें पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी उसी जनपद में आयोजित की जायेगी, जिस जनपद में अभ्यर्थियों की उपरोक्तानुसार शारीरिक नापजोख होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी/Qualifying प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रत्येक आइटम में निम्नानुसार निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापक प्रचार—प्रसार कर दैनिक समाचार पत्रों आदि के माध्यम से दी जायेगी। शारीरिक दक्षता की अर्हता परीक्षा के निर्धारित मानक निम्नवत् होंगे:—

#### पुरुष अभ्यर्थियों के लिए

##### आइटम

	<u>मानक</u>
1— क्रिकेट बाल थ्रो —	50 मीटर
2— लम्बी कूद —	13 फीट
3— चिनिंग अप —	05 बार
4— दौड़ व चाल —	05 किमी0(30 मिनट में)
5— दण्ड—बैठक —	(क) 02 मिनट 30 सेकेण्ड में 40 दण्ड (ख) 60 सेकेण्ड में 50 बैठक

#### महिला अभ्यर्थियों के लिए

##### आइटम

	<u>मानक</u>
1— क्रिकेट बाल थ्रो —	20 मीटर
2— लम्बी कूद —	08 फीट
3— दौड़ व चाल —	200 मीटर(40सेकेण्ड में)
4— स्किपिंग —	01 मिनट में 60 बार
5—शटल रेस (25x4मीटर) —	29 सेकेण्ड में

**14— लिखित परीक्षा:—**

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को व्यापक प्रचार-प्रसार कर दैनिक समाचार पत्रों आदि के माध्यम से दी जायेगी। लिखित परीक्षा के 300 अंक होंगे और परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective type) प्रकार की होगी। परीक्षा का विवरण निम्नवत् है:—

(1) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)	100 अंक	(समय 01 घण्टा प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
2) सामान्य ज्ञान एवं मैन्टल एप्टीट्यूड टेस्ट	200 अंक	(समय 02 घण्टा)
(क) सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण	50 प्रश्न	(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
(ख) सामान्य जागरूकता	75 प्रश्न	(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)
(ग) गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)	75 प्रश्न	(प्रत्येक प्रश्न 01 अंक)

(3) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थी प्रश्नपत्र को अपने साथ ले जा सकेंगे। उत्तर पुस्तिका/OMR Sheet कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी, जिसकी कार्बन प्रति परीक्षा के बाद अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। लिखित परीक्षा के पश्चात् प्रश्न पत्र की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट [uttarakhandpolice.uk.gov.in](http://uttarakhandpolice.uk.gov.in) पर प्रकाशित की जायेगी।

**15—** शासकीय अधिसूचना संख्या 1420/XXX(2)/2011 दिनांक 13-12-2011 के अनुरूप लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें मैरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

**16— मैरिट सूची:—**

(1) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नियमों के दृष्टिगत तीनों संवर्गों के पदों के लिए एकीकृत श्रेणीवार मैरिट सूचियां बनाई जायेंगी। चयन का परिणाम घोषित करने के बाद सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट [uttarakhandpolice.uk.gov.in](http://uttarakhandpolice.uk.gov.in) पर प्रकाशित किया जायेगा।

(2) उक्त चयन हेतु कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जायेगी।

**17— स्वास्थ्य परीक्षण:—**

लिखित परीक्षा के उपरान्त मैरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। अभ्यर्थी मेडिकली फिट होना चाहिए। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात् बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बांयी आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्ण-अंधता/भेंगापन से पूर्णरूप से मुक्त होना आवश्यक है। सटा घुटना, सपाट पैर, बो-लैग, वैरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां या समस्यायें जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस/उप निरीक्षक अभिसूचना एवं प्लाटून कमाण्डर पी0ए0सी0 की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, को अयोग्यता माना जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित शारीरिक नापजोख एवं उपरोक्तानुसार मेडिकली योग्य होने पर ही आवेदन करें।

**18— चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन:—**

प्रशिक्षण में भेजे जाने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का नियमानुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जायेगा। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

**19— आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि/समय तथा निर्देश:—**

आवेदन पत्र दिनांक 31-08-2014 से 01-10-2014 की सायंकाल 5.00 बजे तक उत्तराखण्ड राज्य के किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर जमा किये जा सकते हैं अथवा डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। नियत तिथि/समय के बाद सीधे अथवा डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। स्वच्छ एवं टंकित आवेदन पत्र की व्यवस्था निर्धारित प्रारूप में आवेदक स्वयं करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विज्ञप्ति के साथ संलग्न है, जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद आवेदन पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड पुलिस की वैबसाइट [uttarakhandpolice.uk.gov.in](http://uttarakhandpolice.uk.gov.in) पर देखा जा सकता है। एक अभ्यर्थी एक ही भर्ती केन्द्र पर आवेदन कर सकता है, एक से अधिक भर्ती केन्द्रों पर आवेदन करने वाले

अभ्यर्थियों के सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट सत्यापित छाया प्रतियां संलग्नक करना अनिवार्य है:—

- (1) हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति(जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)
- (2) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की सत्यापित छाया प्रति।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका की सत्यापित छाया प्रति।
- (4) भूतपूर्व सैनिकों के लिए इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- (5) अन्तिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र।
- (6) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- (7) भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालय में पंजीकरण कार्ड की सत्यापित छाया प्रति।
- (8) यदि आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत हों तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- (9) यदि होमगार्ड हैं तो जिला कमाण्डैण्ट होमगार्ड्स द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र में तिथि स्पष्ट होनी चाहिए कि होमगार्ड पद पर कब से कार्यरत है)।
- (10) यदि स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित हों तो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- (11) यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं और शारीरिक अर्हताओं में छूट चाहते हों तो उपरोक्त प्रस्तर—9 (घ) के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
- (12) यदि पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत हों तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (13) राजकोष में जमा किये गये परीक्षा शुल्क के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति।
- (14) 11 x 4 इंच साइज के दो लिफाफे जिन पर आवेदक का नाम एवं प्रवेश पत्र भेजने हेतु पत्र व्यवहार का पता अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में बड़े अक्षरों में लिखा हो एवं पांच—पांच रुपये के डाक टिकट चस्पा हो।

(15) 02 नवीनतम एवं समरूप पासपोर्ट साइज 3.5 x 4.5 सेमी0 के रंगीन फोटो।

20— किसी अनाचार जैसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार भर्ती बोर्ड का होगा। अभ्यर्थी अपराधिक मामलों में वांछित/सजायाप्ता न हो तथा उसके विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत/विचाराधीन न हो।

21— अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद तभी आवेदन करें जब स्वयं सन्तुष्ट हो जायं कि विज्ञापन में उल्लिखित उपरोक्त अर्हताओं/शर्तों के अनुसार वह विज्ञापित पदों हेतु आवेदन करने के लिए पूर्णरूप से योग्य हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि अपने आवेदन पत्र नियत तिथि/समय से अपने इच्छित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवश्य जमा करा लें, यदि आवेदन पत्र डाक से भेजना है तो इस प्रकार भेजें कि नियत तिथि/समय से पूर्व आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय में पहुंच जाय, विलम्ब से प्राप्त/अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विगत में यह भी देखा गया कि कतिपय अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र डाक द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुए। यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस मुख्यालय में भर्ती आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा पुलिस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले ऐसे आवेदन पत्रों के आधार पर उक्त भर्ती में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी का दावा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप—संलग्न है

महत्वपूर्ण निर्देश:-

यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में दिनांक 25-06-2014 तक जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र किसी एक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में त्रुटि रहित/सफलतापूर्वक स्वीकार हो चुके हैं, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा उनके भर्ती केन्द्रों पर पूर्व से जमा आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।

(दीपम सेठ)  
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय,  
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड,  
देहरादून ।



( 2 )

12. परीक्षा शुल्क जमा करने का विवरण :-

1. ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक .....

2. धनराशि (रूपये में) .....

13. शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें :- (प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायें)

परीक्षा	वर्ष	विषय	कुल प्राप्तांक/पूर्णांक	श्रेणी
1- हाईस्कूल				
2- इण्टरमीडिएट				
3- स्नातक				
4- स्नातकोत्तर				
5- एलएलबी				
6- बीएड				
7- अन्य				

14. सेवायोजन कार्यालय/सैनिक कल्याण बोर्ड का नाम ..... पंजीकरण संख्या .....

15. अन्तिम शिक्षा प्राप्त करने की संस्था का नाम एवं पता .....

16. अभ्यर्थी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना/प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पदों हेतु अपनी प्रथम/द्वितीय/तृतीय वरीयता के लिये शब्दों में अंकित करें :-

1- उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस ( )

2- उपनिरीक्षक अभिसूचना ( )

3- प्लाटून कमाण्डर पीएसी ( )

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने उपर्युक्त आवेदन पत्र में जो कुछ लिखा है, वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

प्रतिहस्ताक्षरित पिता/अभिभावक .....

दिनांक.....

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/अभिसूचना/प्लाटून कमाण्डर पीएसी पद की परीक्षा हेतु पावती/प्रवेश पत्र

अनुक्रमांक .....

1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. परीक्षा केन्द्र .....
4. आरक्षित श्रेणी .....
5. पत्र व्यवहार का पता(अगेजी के बड़े अक्षरों में).....

हाल ही में लिये गये  
रंगीन पासपोर्ट साइज  
का स्व हस्ताक्षरित  
फोटोग्राफ अभ्यर्थी  
यहां चिपकाये  
3.5X4.5 सेमी.

आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/कार्यालय की मोहर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर